

प्रमारी (भवन प्रकोष्ठ)

नौएडा सेक्टर-8,

जनपद-गौतमबुद्धनगर।

विषय: मैसर्स फ्यूटैक शैल्टर्स प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0 10, सेक्टर-75 नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स, निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु मानचित्र उपलब्ध कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध अधोहस्ताक्षरी से किया गया है।

प्रस्तावित स्थल के मानचित्रों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी नौएडा फ़ेज-प्रथम से कराया गया तो भवन का विवरण निम्नवत है:-

1-प्रस्तावित भवन का अधिभोग रेजिडेन्सियल श्रेणी के अन्तर्गत है।

2-सामने रोड की चौड़ाई 45 मी0 मानकी के अनुसार पर्याप्त है जिस पर फायर सर्विस वाहन आसानी से आ जा सकते हैं।

3-प्रस्तावित भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल-20,000 वर्ग मी0, जिसमें भूतल पर 4283.818 वर्ग मी0 पर भू आच्छादन किया जाना है।

4-प्रस्तावित भूखण्ड में टावर ए0 से जी तक के कुल 07 टावर भूतल/स्टिल्ट से 18 एवं 19 व तक का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसका एरिया एवं ऊँचाई विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम टावर	भूतल एरिया वर्ग मी0	तलों की संख्या	ऊँचाई मी0 में
1	टावर ए0	412.877	भूतल एवं 19 तल	59.850
2	टावर बी0	397.474	भूतल एवं 19 तल	59.850
3	टावर सी0	294.458	भूतल एवं 19 तल	59.850
4	टावर डी0	287.887	भूतल एवं 19 तल	59.850
5	टावर ई0	484.007	भूतल एवं 08/12/18	27.015/38.955/56.865
6	टावर एफ0	586.343	भूतल/स्टिल्ट एवं 17/18	53.880/58.885
7	टावर जी0	374.654	भूतल/स्टिल्ट एवं 12/17/18	35.970/53.880/56.885
8	कामर्शियल	549.594	भूतल	3.45
9	क्लब	449.608	भूतल	3.45
10	लोवर एवं अपर बेसमेन्ट	16,433.909	प्रत्येक	

5-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में दो जीने एवं लिफ्ट का प्राविधान है आन्तरिक एवं बाह्य जीने की चौड़ाई क्रमशः 1.5 एवं 1.25 मी0 निर्मित की जानी प्रस्तावित है तथा प्रत्येक ब्लॉक में एक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में चिह्नित किया जाना अनिवार्य होगा।

6-न्यूनतम सैटवेक अग्रभाग 15 मी0 एवं शेष तीनों तरफ 09-09 मी0 छोड़े जाने प्राविधानित है नौएडा विनियमावली के अनुसूच पर्याप्त है।

7- भवन में रिफ्यूज एरिया के प्राविधान एन0बी0सी0-2005 के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।

8- प्रस्तावित भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया- 2005 की टेबिल-23 के अनुसार निम्न अग्निशमन व्यवस्थाएँ कसई जानी अनिवार्य होगी :-



ए०- फायर एक्सटिंग्यूशर आई०एस०-2190 के अनुसार।
 बी- होजरील एवं लेफ्टिंग वाल्व आई०एस०-3884:1983 के अनुसार।
 सी- यार्ड हाईड्रैण्टस वेटराइजर आई०एस०-13039:1991 के अनुसार।
 डी- मैन्युअल आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम आई०एस०- 2189:1999 के अनुसार स्थापित किये जायें।
 ई- समस्त 45 मी० से ऊँचे टावर भवनों के सम्पूर्ण तल पर बेसमेंट एरिया में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम आई०एस०-15105:2002 के अनुसार स्थापित किये जायें।

एफ-भवन में अग्निशमन कार्य हेतु अण्डर ग्राउण्ड वाटर टैंक 300,000 ली० क्षमता का स्थापित कराया जायें।
 जी०- अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास 02 अदद मेन पम्प 2280 एल०पी०एम० क्षमता 01 अदद डीजल चालित पम्प 2280 एल०पी०एम० क्षमता 01 अदद जैकी पम्प 180 एल०पी०एम० क्षमता के स्थापित किये जायें।

- एच०-प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक 10,000 ली०
- उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के दौरान निम्न प्रतिबन्ध/मानकों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा-
- 1- भवन के चारों ओर प्राविधानित सेटबैक में किसी प्रकार की अस्थाई/स्थाई निर्माण न कराया जायें।
 - 2- भवन में प्रदीप्त संकेत चिन्ह का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार कराया जायें।
 - 3- भवन में विद्युत सुरक्षा व्यवस्था नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के पार्ट-4 के अनुसार कराया जायें।
 - 4- वैकल्पिक विद्युत स्रोत से कोरिडोर स्टेयर लाइट एवं इतर पम्प सम्बद्ध किये जाएं।
 - 5- पिट कवर का निर्माण अग्निशमन वाहन के भार को ध्यान में रखकर किया जायें।
 - 6- भवन में प्रवेश द्वार का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार कराया जायें।
 - 7- भवन के बेसमेंट में मेकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम एन०बी०सी०-2005 के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा तथा बेसमेंट में कम्पार्टमेंटेशन सम्बन्धित मानकों के अनुसार किया जायें।
 - 8- रिफ्यूज एरिया के प्राविधान एन०बी०सी०-2005 के अनुसार के पार्ट-4 के क्लोज-4.12.1 से 12.3 तक दिये गये निर्देशों का पालन किया जायें।
 - 9- भवन में ट्रांसफार्मर की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-4 के क्लोज-सी 1.16 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जायें।
 - 10-भवन की विद्युत सुरक्षा व्यवस्था के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-4 के क्लोज-1.12ए से एक तक दिये गये निर्देशों का पालन किया जायें।
 - 11- भवन निर्माण में एन०बी०सी० के क्लोज 6.1 रिकजामेंट ऑफ रेजिडेन्सियल बिल्डिंग ग्रुप 'ए' के प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
 - 12-प्रत्येक ब्लॉकों के मध्य इण्टर डिस्टेन्स मानकों के अनुसार रखी जायें।
 - 13-प्रत्येक टावर में एक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में चिह्नित किया जायें।
 - 14-प्रस्तावित भवन के निर्माण के दौरान एन०बी०सी०-2005 में दिये गये सशोधन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।
 - 15-भवन में स्थापित करायी जानी वाली सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित एवं दक्ष व्यक्ति की देखरेख में कराई जायें तथा स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन के लिए व्यवसायिक रूप से दक्ष अग्निशमन अधिकारी व स्टाफ को लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ-2005 पार्ट-4 के क्लोज सी-8 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जायें।
- अतः अग्निशमन अधिकारी नोएडा की उक्त आज्ञा के आधार पर मसर्स फ्यूटेक इन्टरियर्स प्रा० लि० द्वारा प्लॉट न० जी०एच० 10, सेक्टर-75 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु अस्थाई अग्निशमन अनापत्ति आख्या इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008/2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पूर्वतः किसी अन्य



विधि में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में आग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्टाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत की जा रही भवन निर्माण हेतु आख्या स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

(महोदय सिंह)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
गौडम बुद्धनगर

प्रतिलिपि: 1- अग्निशमन अधिकारी नोएडा फेज- प्रथम जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2- आवेदक को उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु।